राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735,फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :– एफ(10)डीटीए/एपीएआर/विविध/685 **दिनांक :– 30/11/2021**

परिपत्र

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ग्रेड–II एवं कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की सूचना विभागीय वैबसाईट पर समय–समय पर अद्यतन की जाती रहती है, जिससे की कार्मिकों को स्वयं की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

प्रायः यह देखा गया है कि अनेक कार्मिक अपनी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करते हैं, फलस्वरूप प्रतिवेदन (APAR) के अभाव में उनकी पदोन्नति/एसीपी स्वीकृत करने में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रकाश में आया है कि कार्मिकों द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तो समय पर प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं लेकिन प्रतिदेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी के द्वारा भी समय पर प्रतिवेदन इस निदेशालय को प्रेषित नहीं किए जाते हैं जिससे भी विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त काफी संख्या में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा बिना समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी के सीधे ही प्रतिवेदन इस निदेशालय को भेज दिए जाते हैं तथा अनेक प्रकरण ऐसे भी प्राप्त होते हैं जिनमें वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में सहवन से गलत/प्रतिकूल अभ्युक्ति (हाँ/नहीं में से किसी एक पर सहीं का निशान लगाने में गलती होना) अंकित कर दी जाती है। ऐसे प्रतिवेदनों को पुनः समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी हेतु लौटाए जाते हैं जिसके कारण भी प्रतिवेदनों पर अन्तिम कार्यवाही में समय लगता है।

अनेक प्रकरण ऐसे भी आते हैं जब समीक्षक अधिकारी द्वारा मूल्यांकन के समय प्रतिवेदक अधिकारी की अभ्युक्ति से सहमत न होने पर कार्मिक का समग्र मूल्यांकन "डाउन–ग्रेड" कर दिया जाता है लेकिन ऐसी स्थिति में, आवश्यक होने पर भी "संक्षिप्त किन्तु ठोस कारण" अंकित नहीं किए जाते हैं, परिणामस्वरूप समीक्षक अधिकारी से आवश्यक पूर्ति कराने हेतु प्रतिवेदन लौटाने पड़ते है जिसके कारण भी प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजकीय कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में समस्त कार्यवाही कार्मिक (ए–1/एसीआर) विभाग के निर्देश दिनांक 05.06.2008 में नीहित प्रावधानों के तहत की जाती है। साथ ही राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के संबंध में वित्त (जीएण्डटी, डिवीजन) विभाग के ज्ञापन दिनांक 04.02.2019 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार यह व्यवस्था/प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/ग्रेड–II/खण्डीय लेखाकार/ कनिष्ठ लेखाकार की

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा भरे जायेंगे तथा वित्त एवं लेखा सेवा के प्रधान अधिकारी द्वारा उनकी समीक्षा कर इस निदेशालय को भेजे जायेंगे।

अतः राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के समस्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर, निर्धारित प्रक्रियानुसार प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं समस्त विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों, प्रतिवेदक अधिकारियों एवं समीक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि आपके कार्यालय में कार्यरत राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन समय पर भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा वित्त (जीएण्डटी डिवीजन) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 04.02.2019 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार निर्धारित व्यवस्था/प्रक्रियानुसार समस्त आवश्यक पूर्तियों/अभ्युक्तियों सहित इस निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :– एफ(10)डीटीए/एपीआर/विविध/685 दिनांक :– 30/11/2021

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त कोषाधिकारी।
4. निजी सहायक निदेशक महोदय।
5. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)